

मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या

स्रोत: द हट्टि

चर्चा में क्यों?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने [भारतीय नरिवाचन आयोग \(ECI\)](#) पर वभिन्न राज्यों में कई मतदाताओं को एक ही मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) संख्या की अनुमति देकर मतदाता दोहराव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।

- ECI ने किसी भी चुनावी कदाचार से इनकार किया है तथा इसके लिये **ERONET (नरिवाचन सूची प्रबंधन प्रणाली)** की शुरुआत से पहले की परंपरागत डेटा त्रुटियों को ज़िम्मेदार ठहराया है।

EPIC नंबर क्या है?


- **परिचय:** मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत वर्ष 1993 में शुरू किया गया EPIC नंबर, ECI द्वारा प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को जारी किया जाने वाला **10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक मतदाता पहचान संख्या** है। इसे **मतदाता प्रत्यूषण और चुनावी धोखाधड़ी को रोकने** के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- **जारीकरण और डिजिटल प्रबंधन:** EPIC नंबर **ERONET के माध्यम से तैयार किया जाता है**।
 - ERONET नरिवाचन अधिकारियों के लिये एक वेब-आधारित मंच है, जो मतदाता सूची से नामों के पंजीकरण, स्थानांतरण और वलियोपन का प्रबंधन करता है, तथा मतदाता सूची प्रक्रिया को कई भाषाओं और लपियों में स्वचालित करता है।
- **महत्त्व:** यह मतदाता को उसके फोटो, नरिवाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र से जोड़ने वाले एक विशिष्ट पहचानकर्त्ता के रूप में कार्य करता है।
 - EPIC रिकॉर्ड में वसिंगतके कारण मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकता है या उसमें हेराफेरी की जा सकती है।
- **EPIC द्वरिवृत्ता का मुद्दा:** ECI ने स्वीकार किया कि ERONET से पहले मैन्युअल डेटा प्रवषिट और वकिंदरीकृत प्रणालियों के कारण डुप्लिकेट EPIC नंबर की समस्या उत्पन्न हुई थी।
- **EPIC मुद्दे पर ECI का रुख:** ECI ने स्पष्ट किया कि भात्त EPIC नंबर मतदान की पात्रता नरिधारित नहीं करते हैं, मतदाता केवल अपने पंजीकृत मतदान केंद्र पर ही मतदान कर सकते हैं। समान EPIC नंबरों के साथ भी, जनसांख्यिकीय वविरण, मतदान केंद्र और नरिवाचन क्षेत्र राज्यों में अलग-अलग हैं।
 - ECI ने आश्वासन दिया कि डुप्लिकेट EPIC नंबर को खतम करने के लिये ERONET 2.0 को अपडेट किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

- **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)** एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग नरिवाचनों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटों को रिकॉर्ड करने और उनकी गणना करने हेतु किया जाता है। भारतीय EVM, जिसे **ECI-EVM** के रूप में भी जाना जाता है, में बैलट यूनिट (BU), कंट्रोल यूनिट (CU) और बाद में जोड़ा गया **वोटर वेरिफिबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT)** शामिल हैं।
 - मतदान अधिकारियों द्वारा संचालित CU और BU, जहाँ मतदाता अपना मतदान करते हैं VVPAT EVM से जुड़ी एक प्रणाली है, जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनका वोट सही तरीके से दर्ज किया गया है।

EVM / VVPAT THE PRIDE OF INDIAN ELECTIONS

It's Robust, It's Secure



Control Unit (CU)

Voter Verifiable Paper
Audit Trail (VVPAT)

Ballot Unit (BU)

HOW TO CAST YOUR VOTE

Ready to Vote

The Polling Officer 3 will enable the Ballot Unit while you enter the voting compartment. The 'Ready' light of BU will glow.




Cast your Vote

Press the Blue Button on the Ballot Unit against the name/ symbol of candidate of your choice.



See the Light

The red light against the name/ symbol of candidate chosen will glow.



Verify your Vote

The VVPAT will print & display the ballot slip containing Serial Number, Name and Symbol of the chosen candidate.



Beep Sound

The Beep sound from the Control Unit marks the proper registration of your Vote.



VOTE CAST IN EVM/ VVPAT
NEVER GETS INVALIDATED

340+ CRORE
VOTERS

132 Assembly
Elections

4 Lok Sabha
Elections

(used EVMs since 2004)

112+ CRORE
VOTERS

26 Assembly
Elections

1 Lok Sabha
Election

(used EVMs & VVPATs since
December 2017)



Election Commission of India
www.eci.gov.in

USED IN OVER 10 LAKH POLLING STATIONS IN LOK SABHA ELECTIONS, 2019



भारत निर्वाचन आयोग



Drishti IAS



परिचय

- स्वायत्त संवैधानिक निकाय
- लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन
- स्थापना- 25 जनवरी, 1950 (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)

संवैधानिक प्रावधान


भाग XV-अनुच्छेद 324 से 329

संरचना

- 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त)
- **कार्यकाल** - 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
- **सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त**- सरकार द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र
- **मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना**- सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के समर्थन से उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव

प्रमुख भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

- चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण
- मतदाता सूची तैयार करना और उसका पुनरीक्षण करना
- चुनाव कार्यक्रम और तारीखों को अधिसूचित करना
- राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देना
- राजनीतिक दलों के लिये "आदर्श आचार संहिता" जारी करना



UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ई.वी.एम.) के इस्तेमाल संबंधी हाल के विवाद के आलोक में, भारत में चुनावों की विश्वास्यता सुनिश्चित करने के लिये भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ हैं? (2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/electors-photo-identity-card-number>

